The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 1 | Issue 2 | July-September 2023
ISSN: 2583-973X
Website: www.theacademic.in

समान नागरिक संहिता : एक बहुआयामी विश्लेषण

डॉ० रिफाकत अली
असिस्टेंट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
स्व० डॉ० आर०एस० टोलिया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मुनस्यारी

ARTICLE DETAILS
Research Paper
Article History
Received : September 15, 2023
Accepted : September 30, 2023

Keywords :
अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, पर्सनल लॉ, धार्मिक स्वतन्त्रता, लैंगिक समानता

ABSTRACT
प्रस्तुत शोध-पत्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 की व्यवस्था के अलोक में भारत में निवासरत विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों जिनके अपने व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) लागु हैं, को समाप्त कर समस्त नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता बनाने और इसके माध्यम से लैंगिक समानता और समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानून लागु करके समानता की स्थापना करने और इसे क्रियान्वित करने के मार्ग में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों को समझने का प्रयास करता है | इस शोध-पत्र में भारत में लागु विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) पर दृष्टिपात करते हुए समय-समय पर न्यायालय के सम्मुख आए विभिन्न विवादों, उन पर दिए गए न्यायिक निर्णयों, समाज की वर्तमान स्थिति और समान नागरिक संहिता बनाने और लागु करने से समाज पर पड़ने वाले प्रभाव और इसे लागु करते समय क्या सावधानियाँ रखने की आवश्यकता है, का बहुआयामी विश्लेषण करता है |

परिचय:- भारत एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक सामाजिक व्यवस्था वाला राष्ट्र है जिसमें हिन्दु, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी आदि धर्मों के अनुयायी निवास करते हैं | इसी के साथ उत्तर में हिमालय से लेकर सुदूर दक्षिण में हिन्द महासागर तक और पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक फैले विस्तृत भूभाग में असंख्य संस्कृति, रीति-रिवाज और परम्पराएं अस्तित्व में हैं | भारत में अनेक धार्मिक, भाषाई और सांस्कृतिक समूहों का अस्तित्व है | भारत राष्ट्र एवं इसका धर्मनिरपेक्ष संविधान इन सभी समूहों को एकता के सूत्र में बांधता है | मनुष्य के सामन्य जीवन के क्षेत्र में यद्यपि समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानूनी एवं संवैधानिक व्यवस्था है और संविधान के भाग III में अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का अधिकार प्रदान किया गया है | अनुच्छेद 14 में प्रावधान किया गया है कि, "भारत राज्य-क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा वंचित नहीं किया जाएगा |"[1] अनुच्छेद 14 ऐसी परिस्थितियों की स्थापना करना चाहता है जिसके अन्तर्गत स्वेच्छाचारी एवं भेदभावपूर्ण कानूनों की रचना नही हो

पाएगी, न कानूनों के प्रयोग में ही भेदभाव किया जा सकेगा |[2] सभी के लिए समान संवैधानिक प्रावधान होते हुए भी संविधान का अनुच्छेद 25 सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतन्त्रता एवं अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान करने की गारन्टी देता है | इसी प्रावधान के आलोक में विवाह, तलाक, गोद लेना, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में प्रत्येक धार्मिक समूह अपनी धार्मिक मान्यता, धार्मिक ग्रन्थों में की गई व्यवस्था और अपनी परम्पराओं के आधार पर व्यक्तिगत कानूनों का पालन करता है |

समान नागरिक संहिता अलग-अलग धार्मिक समूहों के प्रचलित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समस्त नागरिकों के लिए एक समान कानूनों का निर्माण करने से सम्बन्धित है | संविधान के भाग IV में अनुच्छेद 44 व्यवस्था करता है कि जहाँ तक सम्भव हो, राज्य सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागु करने का प्रयत्न करेगा | इसी के आलोक में भारत में समान नागरिक संहिता लागु करने का प्रयास किया जा रहा है | प्रस्तुत शोध-पत्र में समान नागरिक संहिता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है |

अनुसंधान विधि:- प्रस्तुत अनुसंधान के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के साधनों का प्रयोग किया गया है | सैदान्तिक अध्ययन होने के कारण द्वितीयक स्रोतों से डाटा एकत्र कर वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक पद्दति का प्रयोग किया गया है | प्राथमिक डाटा में प्रचलित कानून, न्यायलय के समक्ष आए विवाद आदि एवं द्वितीयक साधनों में अनुसंधान पत्रिका में प्रकाशित शोध-पत्र, वेबसाइट आदि पर उपलब्ध स्रोत का उपयोग किया गया है |

साहित्य समीक्षा:- किसी भी विषय पर शोध करने में सम्बन्धित विषय पर पूर्व में किये गए अनुसंधान, लिखा गया साहित्य, शोध-पत्र आदि का अध्ययन करना विषय को समझने और शोध करने में सहायता प्रदान करता है | इसी के दृष्टिगत इस विषय पर पूर्व में प्रकाशित शोध-पत्र, पुस्तक, लेखों आदि का अध्ययन किया गया है |

पटेल, श्रद्दा पी० (2020),[3] समान नागरिक संहिता पर लिखे अपने शोध-पत्र में लिखती हैं कि समान नागरिक संहिता केवल लैंगिक न्याय का मामला नही है | यह एक प्रश्न भी है कि भारत एक राष्ट्र के रूप में अपनी विविधता को कैसे समायोजित करता है ? भारतीय समाज के ताने-बाने में मौजद बहुसंस्कृतिवाद को पूरी तरह से दरकिनार करने के स्थान पर उदार सन्तुलन कायम किया जाए | अल्पसंख्यक समुदायों के भीतर कमजोर व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करते हुए समान नागरिक संहिता के लिए अपने विकल्पों पर सावधानी से कार्य करना होगा |

श्रीकान्त, अनन्या (2022),[4] अपने शोध-पत्र "भारत में सार्वभौमिक नागरिक संहिता :- वरदान या अभिशाप" में लिखती हैं कि समान नागरिक संहिता सभी समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को समेकित कर संहिताबद्ध करने का कार्य करेगा, जो अंततः राष्ट्र को एकीकरण की ओर ले जाएगा। लेखिका मानती हैं कि समान नागरिक संहिता को लागु करना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है और इसे लागु करने से अनुच्छेद 25 में दिए गए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। लेखिका के अनुसार समान नागरिक संहिता को लागु न करने से विभिन्न धर्मों के बीच एक असहज विभाजन उत्पन्न होता है जो प्रत्येक दूसरे धर्म को विशेष स्थान प्रदान करता है। लेखिका मानती हैं कि भारत जैसे विभिन्नताओ वाले राष्ट्र के लिए प्रत्येक नागरिक के लिए समान कानून होना आवश्यक है।

वाजा, आरिफ मोहम्मद (2023),[5] अपने शोध पत्र "भारत में समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन की चुनौतियां और संभावित दुष्परिणाम : एक बहुआयामी विश्लेषण" में लिखते हैं कि भारत में समान नागरिक संहिता लागु करने के मार्ग में अनेक कठिनाइयां और चुनौतियां हैं। भारत एक विविधताओं वाला राष्ट्र है। जिसमें विभिन्न धर्मों, वर्गों, समुदायों,

भाषाओं और परंपराओं का समावेश है। इन विभिन्नताओ के कारण धार्मिक संवेदनशीलता, विद्यमान परंपराओं में होने वाले परिवर्तन का विरोध, सांस्कृतिक मतभेद और लैंगिक न्याय आदि के संदर्भ में संघर्ष होने की संभावना बलवती होती है। अतः समान नागरिक संहिता के क्रियान्वयन के सम्मुख खड़ी इन चुनौतियों का सामना करने के लिए विशेष चतुराई और कूटनीति की आवश्यकता है।

छिब्बर, एस०ए०(2008),[6] अपने लेख में समान नागरिक संहिता को लैंगिक समानता की अवधारणा के साथ समझाने का प्रयत्न करते हैं। अपने शोध पत्र में लेखक बताता है कि समान नागरिक संहिता की सहायता से किस प्रकार लैंगिक समानता स्थापित करने में सहायता मिल सकती है। इस लेख में समानता के अधिकार को समान नागरिक संहिता के माध्यम से प्राप्त करने के संबंध में बताया गया है।

अहमद, एस० एवं अहमद एस० (2006),[7] अपने लेख में लिखते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 30 कुछ सीमाओं के साथ, धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। इसी के आलोक में विभिन्न धर्मों और समुदायों के लिए व्यक्तिगत कानून लागु हैं। यद्यपि संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता लागु करने के लिए राज्य को निर्देशित करता है, परंतु किसी भी विधायिका के लिए यह एक कठिन कार्य है। इसके लिए सर्वप्रथम सभी धर्मों और संप्रदाय को उच्च स्तर की सहिष्णुता का प्रदर्शन करना होगा। यद्यपि समान नागरिक संहिता को लागु करना सरकार की इच्छाशक्ति पर निर्भर है। भारत में क्योंकि धर्म एक पवित्र और भावनात्मक मुद्दा है, अतः सरकार को भी संवेदनशीलत होना होगा। उदाहरणस्वरूप यदि सरकार समस्त नागरिको के लिए दोपहिया वाहन की सवारी करते समय हेलमेट पहनने को अनिवार्य कर दे, तो क्या वह सिखों को पगड़ी उतारने के लिए कहेगी? ओर सिख उसे स्वीकार करेंगे ? इसी प्रकार, यदि जनसंख्या नियंत्रण के लिए गर्भपात को वैध बना दिया जाए तो क्या ईसाई धर्मावलंबी इसे स्वीकार कर सकते हैं?

फातिमा (2022),[8] अपने शोध पत्र में लिखती हैं कि समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान का एक मृतप्राय प्रावधान है। बहुसांस्कृतिक और बहुधार्मिकता वाले राष्ट्र के सम्मुख समान नागरिक संहिता लागु करने के मार्ग में बहुत सी चुनौतियां हैं। लेखिका कहती हैं कि ईरान, मोरक्को, सीरिया, ट्यूनीशिया आदि राष्ट्रों में बहुविवाह की प्रथा के विरुद्ध कानूनों का निर्माण किया गया है, परंतु भारत अभी तक बहुविवाह को प्रतिबंधित नहीं कर पाया है।

अध्ययन का उद्देश्य:- प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य समान नागरिक संहिता के विभिन्न आयामों का विश्लेषण करना है | जैसे कि सामान नागरिक संहिता क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गयी धार्मिक स्वतन्त्रता का उल्लंघन करता है ? समान नागरिक संहिता को क्रियान्वित करने के मार्ग में कौनसी बाधाएं अथवा व्यवहारिक समस्याएं हैं ? समान नागरिक संहिता लागु करने से महिलाओं के अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? क्या समान नागरिक संहिता को लागु करने का यह उचित समय है अथवा इस विषय को अभी छोड़ देना चाहिए ?

वर्तमान स्थिति:- भारतीय संविधान के निर्माण के समय यद्यपि संविधान सभा के कुछ सदस्य समान नागरिक संहिता का प्रावधान करना चाहते थे, परन्तु संविधान सभा ने अल्पसंख्यक समुदायों के भारी असंतोष के कारण समान नागरिक संहिता को लागु करने का विचार संविधान के भाग IV में राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अन्तर्गत अनुच्छेद 44 में सम्मिलित करते हुए भविष्य की सरकारों पर छोड़ दिया | संविधान के भाग III में अनुच्छेद 25 धार्मिक स्वतन्त्रता की गारन्टी देता है | अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक नागरिक को अपना धर्म मानने और उसका प्रचार करने का अधिकार

प्राप्त है | अनुच्छेद 25 के आधार पर ही भारत में विभिन्न धर्मों, समुदायों आदि के लिए व्यक्तिगत कानून लागु हैं और विभिन्न समुदायों द्वारा धार्मिक और व्यक्तिगत मामलों विशेषकर विवाह, तलाक, गोद लेना, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में अपने धार्मिक ग्रन्थों एवं धार्मिक परम्पराओं का पालन किया जाता है | विभिन्न धर्म और समुदाय अनेक व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) और परम्पराओं से नियमित होते हैं | मुख्यतः भारत का बहुसंख्यक धर्म हिन्दू है जिसके लिए " द हिन्दू मैरिज एक्ट 1955"[9], "द हिन्दू सक्सेशन एक्ट 1956"[10] "द हिन्दू एडॉप्शन एन्ड मेन्टेनेंस एक्ट 1956"[11] "द हिन्दू माइनॉरिटी एन्ड गार्जियनशिप एक्ट 1956"[12] आदि बनाए गए हैं | सिख धर्म को हिन्दू धर्म का ही एक भाग मानते हुए यही कानून उन पर भी लागु होते हैं | यद्यपि भारत में हिन्दू धर्म में ही कई ऐसे समुदाय हैं जिनकी परम्पराएँ और विश्वास सामान्य परम्पराओं से भिन्न हैं | इन समुदायों में विवाह और उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में उपरोक्त हिन्दू कानूनों से इतर अपनी परम्पराओं का पालन किया जाता है और उसे कानूनी मान्यता भी प्राप्त है |

इस्लाम भारत का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है | मुस्लिम समुदाय "मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरियत)"[13] का पालन करता है जो शरियत और कुरान शरीफ की व्यवस्थाओं पर आधारित है |

ईसाई धर्म भारत का एक अन्य मुख्य अल्पसंख्यक वर्ग है | इस समुदाय के लिए भी विभिन्न व्यक्तिगत कानून लागु हैं | यह समुदाय सिविल मामलों में मुख्यतः "इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872"[14] का पालन करता है |

उपरोक्त उल्लेखित समस्त कानूनों में प्रत्येक समुदाय के लिए उनके धार्मिक विश्वासों, रीति-रिवाजों एवं परम्पराओं के आधार पर विवाह, तलाक, गोद लेना, भरण-पोषण, उत्तराधिकार आदि के सम्बन्ध में अलग- अलग व्यवस्थाएं हैं | इन अधिनियमों से इतर भी विभिन्न समुदाय अपनी परम्पराओं का पालन कर रहे हैं |

समान नगरिक संहिता के लिए न्यायिक निर्णय:- अनुच्छेद 44 में दिए गए नीति-निदेशक तत्वों को लागु करने के लिए समान नागरिक संहिता को लागु करने की दिशा में विधायिका द्वारा कोई प्रयास न किए जाने के कारण समय-समय पर अनेक विवाद न्यायालय के सम्मुख आए | इनमें से कुछ महत्वपूर्ण विवादों में न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक निर्णय दिए गए | कुछ प्रमुख विवाद और उनमें दिए गए ऐतिहासिक निर्णयों का अध्ययन करना समीचीन होगा |

एक महत्वपूर्ण मामला **"सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (1995)"**[15] का है | इसमें न्यायालय के सम्मुख तथ्य लाया गया की, "मीना माथुर और जितेन्द्र माथुर का 1978 में हिन्दू रीति-रिवाज से विवाह संपन्न हुआ | 1988 में उसके पति ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना सुनीता नरूला से दुसरा विवाह कर लिया | दुसरे विवाह से पूर्व जितेन्द्र माथुर और सुनीता नरूला ने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था | जब मीना माथुर की शिकायत पर पुलिस द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के तहत जीतेन्द्र माथुर को गिरफ्तार किया गया तो उसने दावा किया कि इस्लाम धर्म अपना लेने के कारण अब वह चार पत्नियाँ रख सकता है |

इस विवाद में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उठाया गया कि क्या कोई हिन्दू व्यक्ति जो हिन्दू रीति-रिवाज के अनुसार पहले से विवाहित है वह पहले विवाह को समाप्त किए बिना इस्लाम धर्म अपनाकर दूसरा विवाह कर सकता है जबकि उसकी पहली पत्नी अभी भी हिन्दू धर्म का पालन करती है ? अथवा धर्म परिवर्तन कर दूसरा विवाह करने वाला व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 494 के तहत दोषी माना जाएगा | इस विवाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि इस्लाम धर्म अपना लेने से पूर्व में किया गया विवाह समाप्त नही होगा | साथ ही सरकार को निर्देशित किया गया कि

दुसरे धर्म के पर्सनल लॉ का अनुचित लाभ उठाने की प्रवृत्ति से बचने के लिए अनुच्छेद 44 के अनुसार "समान नागरिक संहिता" लागु करने के लिए प्रयास किए जाएं |

एक अन्य महत्वपूर्ण विवाद **जॉन वल्लटॉम बनाम भारत संघ (2003)**[16] का है | इस मामले में एक ईसाई पादरी जॉन वल्लटॉम ने सर्वोच्च न्यायालय में "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925" की धारा 118 की वैद्यता को चुनौती दी | "भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925" की धारा 118 के अनुसार कोई ईसाई व्यक्ति जिसके उत्तराधिकारी जीवित हों वह अपनी सम्पत्ति धार्मिक कार्यों के लिए वसीयत नहीं कर सकता जब तक कि ऐसी वसीयत वसीयतकर्ता की मृत्यु के कम से कम 12 माह पूर्व न की गई हो और वसीयत करने के दिनांक से छ: माह की समय सीमा में कानून द्वारा निर्धारित सरकारी कार्यालय में जमा न की गयी हो | उपरोक्त प्रावधान हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और जैन समुदाय पर लागु नही होता | इस प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन मानते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक घोषित करते हुए रद्द कर दिया |

शायरा बानो केस (2017)[17]**:-** एक अन्य महत्वपूर्ण मामला सायरा बानो और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य है । इस मामले में मुस्लिम समुदाय में, विशेषकर 'हनफी मसलक' में प्रचलित तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी । तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत) तलाक का ऐसा स्वरूप है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता । शायरा बानो के मामले में विवाह के 15 वर्ष पश्चात शायरा बानो को उसके पति रिजवान ने तीन तलाक दे दिया । सायरा बानो ने तीन तलाक, बहुविवाह और निकाह-हलाला की प्रथाओं को संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 21 और 25 का उल्लंघन मानते हुए असंवैधानिक घोषित करने की मांग रखी ।

इस याचिका में प्रतिवादी के वकील एडवोकेट कपिल सिब्बल ने संविधान सभा के वाद विवाद का उल्लेख करते हुए तर्क रखा कि संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून की परिभाषा में व्यक्तिगत कानून (पर्सनल लॉ) सम्मिलित नहीं है । संविधान की समवर्ती सूची (सातवीं अनुसूची की तीसरी सूची) में व्यक्तिगत कानूनों (पर्सनल लॉ) का स्पष्ट उल्लेख और अनुच्छेद 13 में इसकी अनुपस्थिति संविधान निर्माताओं के व्यक्तिगत कानूनों को कानूनी दायरे से बाहर रखने की मंशा को स्पष्ट दर्शाती है ।[18] इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने तीन-दो के बहुमत से तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया। इसके उपरांत संसद ने "मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019"[19] पारित कर तीन तलाक को असंवैधानिक घोषित करते हुए दंडनीय अपराध घोषित कर दिया है ।

उपरोक्त मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें संविधान के अनुच्छेद 44 को प्रभावी बनाने के लिए समान नागरिक संहिता बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है |

निष्कर्ष एवं सुझाव:- भारत राष्ट्र के विशाल भूभाग में फैले अनेक धर्मों, समुदायों, संस्कृतियों, रीति-रिवाजों आदि का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि एक बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र है | अलग-अलग समुदाय अपने धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर स्थापित व्यक्तिगत कानूनों का पालन करते हैं | समान नागरिक संहिता न केवल कानूनी सन्दर्भ को अपितू धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संदर्भो को भी प्रभावित करती है | भारत के विभिन्न समुदाय विशेषकर अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदाय को आशंका है कि समान नागरिक संहिता को लागु करने के नाम पर सभी नागरिकों को एक

समान कानून के दायरे में लाने के लिए बहुसंख्यक समुदाय में प्रचलित कानूनों को लागु कर दिया जाएगा और अल्पसंख्यक और आदिवासी समुदायों के पर्सनल लॉ और परम्पराओं को समाप्त कर दिया जाएगा |

उपरोक्त आशंकाओं के दृष्टिगत भारत में समान नागरिक संहिता बनाने और लागु करने के लिए विभिन्न हितधारकों से व्यापक विचार-विमर्श कर संहिता के मसौदे पर आम सहमति बनाने का भरसक प्रयत्न करने की आवश्यकता है | समान नागरिक संहिता का मसौदा क्या होगा ? इसकी अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नही है | समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 25 में प्रदान की गयी धार्मिक स्वतन्त्रता को कैसे प्रभावित करेगी ? अथवा इसे लागु करने से महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आएगा ? इस सबके सम्बन्ध में, जब तक कोई मसौदा प्रस्तुत नही किया जाता तब तक केवल अनुमानों और आशंकाओं का दौर ही निरन्तर चलता रहेगा, कुछ भी निश्चित नही कहा जा सकता है | अतः आवश्यकता एक ऐसा मसौदा संहिता तैयार कर प्रस्तुत करने की है जिससे किसी की धार्मिक रीति-रिवाज और परम्पराएं समाप्त न होती हों और जिस पर व्यापक विचार-विमर्श कर आम सहमति बनाई जा सके | केवल आम सहमति की स्थिति में ही समान नागरिक संहिता लागु करने के मार्ग में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा सकता है | समान नागरिक संहिता लागु करके अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित करने के साथ-साथ यह भी स्मरण रखना होगा कि इससे अनुच्छेद 14, 15, 25 और 26 का उल्लंघन न हो | यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समस्त नागरिकों को यह स्पष्ट अनुभव हो कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य किसी विशेष धर्म अथवा समुदाय के विरुद्द नही अपितु धर्म के प्रभाव में होने वाले अन्याय को रोकना है | यद्यपि भारत का सर्वोच्च न्यायालय विभिन्न विवादों में सरकार को अनुच्छेद 44 को क्रियान्वित करने और समान नागरिक संहिता को लागु करने का सन्देश दे चुका है परन्तु इस सबके बावजूद लेखक का स्पष्ट मत है कि विभिन्न हितधारकों की आम सहमति एवं ऐसा मसौदा तैयार किए बिना जिससे विभिन्न समुदायों की धार्मिक परम्पराओं का संरक्षण न होता हो, समान नागरिक संहिता को लागु करना लोकतन्त्र की मूल भावना और स्वतन्त्रता के नैसर्गिक सिद्दांत के प्रतिकूल होगा |

सन्दर्भ :-

1. त्रिवेदी, आर०एन०, एवं राय, एम०पी०, भारतीय संविधान, कॉलेज बुक डिपो, जयपुर, पृ० 57
2. पायली, एम०वी० भारतीय संविधान, पृष्ठ 77-78
3. Dr. Shraddha P. Patel. (2020). An Analytical Study on Uniform Civil Code. *Eduzone: International Peer Reviewed/Refereed Multidisciplinary Journal*, *9*(1), 16–18. Retrieved from https://eduzonejournal.com/index.php/eiprmj/article/view/361
4. Shrikant, Ananyaa (2022), Universal Civil Code in India: Boon or Bane?, International Journal of Politics, Law and Management, Vol. 01,No. 02, Page 20-31, ISSN -2583-4908 https://ijplm.com
5. Waza, Arif Mohd. (2023), Implementation Challenges and Potential Evils of Uniform Civil Code in India: a Multidimensional Analysis, International Journal Advance of Social Science and education (IJASSE) Vol. 1, No. 1, 35-42
6. Chhibbar, S. A. (2008), Charting New Path toward Gender Equality in India From Religious Personal Laws to Uniform Civil Code, Indian Law Journal, Vol. 83, No. 02, Page 695-718
7. Ahmed, S., & Ahmed, S. (2006). UNIFORM CIVIL CODE (ARTICLE 44 OF THE CONSTITUTION) A DEAD LETTER. *The Indian Journal of Political Science*, *67*(3), 545–552. http://www.jstor.org/stable/41856241

8. Fatima, (2022), Is it the Right Time for the Implementation of the Uniform Civil Code in India? Jus Corpur Law Journal, 794-802
9. The Hindu Marriage Act-1956
10. The Hindu Succession Act-1956
11. The Hindu Adoption and Maintenance Act-1956
12. The Hindu Minority and Guardianship Act-1956
13. The Muslim Personal Law (shariyat) Application Act-1937
14. Indian Christian Marriage Act-1872
15. सरला मुद्गल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया AIR 1995 SC 1531
16. जॉन वल्लटॉम बनाम भारत संघ, Writ Petition (Civil) 242 of 2003
17. Shayara Bano V/S Union of India, AIR 2017, 9, SCC 1 (SC)
18. https://www.legalserviceindia.com/legal/article-7537-judgment-analysis-shayara-bano-v-s-uoi.html
19. The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019